फाइल सं.20014/02/2022-रा.भा.(का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

****

'बी' विंग, चतुर्थ तल,
नई दिल्ली सिटी सेंटर-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक:12/01/2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं बैठक का आयोजन दिनांक 15, 16 एवं 22 नवंबर, 2022 को राजभाषा विभाग, नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों के कार्यों की समीक्षा करना है।

इस समीक्षा बैठक में सभी मंत्रालय/विभागों द्वारा प्रषित तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दी गई सूचनाओं की समीक्षा की गई, कमियों को चिन्हित किया गया, लक्ष्यों में आई कमी पर चर्चा की गई, तथा सुधार हेतु सभी विचारों को साझा किया गया। बैठक के कार्यवृत्त को राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in के अद्यतन सूचनाएं लिंक पर देखा जा सकता है।

प्रत्येक मंत्रालय/विभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में पाई गई कमियां, राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश एवं मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर 01 माह के अदर अनुवर्ती कार्रवाई कर राजभाषा विभाग को सूचित करें।

12/01/2023

(बी.एल.मीना)
निदेशक(का.)
दूरभाष: 23438143

संलग्न: यथोपरि

प्रति:-

1. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित मंत्रालय/विभाग (सूची संलग्न) के संयुक्त सचिव (प्रशा.)।
2. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के निजी सचिव।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग (का.-2)
***

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं बैठक का कार्यवृत्त

राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कॉलिक) की बैठक का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में वर्ष 2021-22 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कॉलिक की 44वीं बैठक का आयोजन 15, 16 नंवबर तथा 22 नवंबर, 2022 के बीच सचिव, राजभाषा विभाग, श्रीमती अंशुली आर्या की अध्यक्षता में किया गया।

2- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत चर्चा के लिए उक्त बैठक में 79 मंत्रालयों/विभागों (सूची अनुलग्नक 'क' पर) के संयुक्त सचिवों एवं वरिष्ठ राजभाषा अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की सूची अनुलग्नक 'ख' पर उपलब्ध है। साथ ही राजभाषा विभाग से भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी की सूची अनुलग्नक 'ग' पर है।

3- सचिव, राजभाषा विभाग ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाना है। बैठक का मुख्य उद्देश्य संघ की राजभाषा नीति, कानूनी प्रावधानों, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत सिफारिशों आदेशों आदि की समीक्षा करना है। इनका पालन करना हम सबका उत्तरदायित्व है। इससे पहले सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में इस प्रकार की 43 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आगे उन्होंने यह भी अवगत करवाया कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग की जो स्थिति दिल्ली स्थित मंत्रालयों/विभागों में होना चाहिए वैसी अभी नहीं हुई है। इस संबंध में सचिव, राजभाषा विभाग ने अनुच्छेद 343 तथा 351 का विशेष रूप से उल्लेख किया। सचिव महोदया ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको इस दिशा में मिलकर सार्थक प्रयास करना है। उन्होंने सरकारी कामकाज में सरल हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक का उद्देश्य एक-दूसरे की कमियां ढूंढना या दोषारोपण करना नहीं है अपितु मिल-बैठकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपाय तलाशना है। वर्तमान में राष्ट्र में हिंदी के अनुकूल वातावरण है। हिंदी भाषा को जन-जन की आकांक्षाओं को पूरा करना है।

4- सचिव महोदया द्वारा सभी प्रतिभागियों को अपना परिचय देने को कहा गया जिसके उपरांत उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करने का हमें अवसर मिलता है और वे हिंदी के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि माननीय गृह मंत्री जी ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर बहुत बल दिया है। उन्होंने बताया कि संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त करना अपेक्षित होता है। उन्होंने उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों से राजभाषा संबंधी सभी कार्यकलापों में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

5 तत्पश्चात, श्री बी.एल.मीना, निदेशक (कार्यान्वयन) ने सभी प्रतिभागियों को राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण नियमों एवं प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत 14 दस्तावेज अनिवर्यत: द्विभाषी जारी किए जाने अपेक्षित हैं। उन्होंने इस बात की ओर सभी प्रतिभागियों का ध्यान आकृष्ट किया कि यदि कोई कार्यालय धारा 3(3) का अनुपालन नहीं करता है तो वह राजभाषा विभाग की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कारों से पूर्णत: वंचित हो जाता है। साथ ही यदि कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं करता है तो पुरस्कारों के मूल्यांकन के समय उसके 10 अंक काट लिए जाते हैं जिससे वह पुरस्कारों की श्रेणी से लगभग बाहर हो जाता है। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी मंत्रालय/विभाग अपनी ऑनलाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा अर्थात एक महीने के अंदर, प्रमाण पत्र सहित भेजना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने तिमाही रिपोर्ट में ध्यानपूर्वक सही और तथ्यपरक आंकड़े भरने का भी अनुरोध किया।

5(i) निदेशक (कार्यान्वयन) ने यह भी अनुरोध किया कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए अपनी वेबसाइट पूर्णत: द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है। हिंदी कार्यशालाओं के बारे में उन्होंने बताया कि कार्यशाला पूर्ण दिवसीय हो और इसका दो तिहाई समय अभ्यास के लिए होना चाहिए। मंत्रालयों/विभागों में शेष अधिकारियों/कार्मिकों का यथाशीघ्र प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 तक हिंदी में अप्रशिक्षित सभी कार्मिकों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। अत: जिन कार्मिकों को इन प्रशिक्षणों में नामित किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त भी किया जाना चाहिए। सभी कंप्यूटरों में द्विभाषी कार्य में काम करने की सुविधा उपलब्ध हो ताकि कार्मिकों को हिंदी में काम करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। विंडो-7 एवं उसके बाद के कंप्यूटरों में इनबिल्ट द्विभाषी सुविधा बाई डिफाल्ट पहले ही से उपलब्ध है, केवल उन्हें यूनिकोड इनेबल करने की आवश्यकता है।

5(ii) तत्पश्चात उप निदेशक (नीति) द्वारा स्मृति आधारित सॉफ्टवेयर टूल कंठस्य 2.0 का प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने बताया कि "कंठस्थ" एक स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर है जिसे राजभाषा विभाग ने सी –डैक, पुणे की सहायता से विकसित किया है। इसका लोकार्पण वर्ष 2018 में मॉरीशस में किया गया।

इसमें एक अनुवाद स्मृति (टीएम) डाटाबेस होता है जो अनूदित डाटा को संगृहीत करता है। अनुवाद के लिए प्रणाली के प्रत्येक अनुवर्ती प्रयोग के साथ टीएम डाटाबेस लगातार समृद्ध होता जाता है। कंठस्थ को अब और भी उन्नत बनाया गया है इसके उन्नत संस्करण "कंठस्थ 2.0" का लोकार्पण 14 सितंबर, 2022 को आयोजित हिंदी दिवस एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन, सूरत में माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा किया गया। "कंठस्थ 2.0" में न्यूरल मशीन अनुवाद, स्पीच टू टेक्स्ट अर्थात वॉयस टाइपिंग और चैट बोट सेवा जैसी कुछ अतिरिक्त विशेषताएँ समाविष्ट की गई हैं।

उन्होंने यह भी बताया की यह टूल सरकारी कामकाज में अत्यधिक मात्रा में नियमित आधार पर किए जाने वाले अनुवाद कार्यों (हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी) में लगने वाले श्रम और समय को बचाने में उपयोगी साबित होगा। साथ ही उन्होंने मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से अनुरोध किया की वे इस स्वदेशी अनुवाद टूल का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करवाने के लिए समुचित दिशा-निर्देश जारी कर इस नि:शुल्क टूल का लाभ उठाएं।

बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु:

1. सभी मंत्रालय/विभाग अपनी-अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय से भरें। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट तथा अपने एच.ओ.डी. से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र (मुहर सहित) भरवाना सुनिश्चित करें।
2. तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने में आ रही किसी भी समस्या के लिए विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार श्री केवल कृष्ण से संपर्क करें।
3. रिपोर्ट में धारा 3(3) एवं नियम-5 का उल्लंघन न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
4. हिंदी सलाहकार समिति का गठन करवाएं। गठन के उपरांत वर्ष में दो बैठकें करवाना सुनिश्चित करवाएं।
5. वेबसाइट पूर्णत: द्विभाषी करवांए। अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी को भी हमेशा अपडेट करवाना सुनिश्चित करवाएं।
6. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मूल कार्य हिंदी में हो।
7. कंप्यूटर को द्विभाषी करवाएं।
8. अप्रशिक्षित कर्मचारियों का हिंदी में प्रशिक्षण सुनिश्चित करवाएं।
9. भविष्य में आयोजित होने वाली कॉलिक की बैठकों में संयुक्त सचिव व समकक्ष अधिकारी अवश्य उपस्थित हों।
10. सभी मंत्रालय/विभाग अपने-अपने यहां हिंदी में चल रही मौलिक पुस्तक योजना या कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की पुरस्कार योजना का विवरण राजभाषा विभाग को उपलब्ध करवाएं।

इसके उपरांत, पॉवर प्वांइट प्रेजेनटेशन (पीपीटी) के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा विभाग को प्रेषित वर्ष 2021-22 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दी गई सूचना के आधार पर समीक्षा की गई। मंत्रालयवार/विभागवार समीक्षा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

6.1 अंतरिक्ष विभाग

अंतरिक्ष विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। अंतरिक्ष विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है। अंतरिक्ष विभाग की प्रतिनिधि ने अपने विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा हिंदी में लिखित पुस्तकें सचिव, राजभाषा विभाग को भेंट की। सचिव, राजभाषा विभाग ने अंतरिक्ष विभाग के प्रयासों की सराहना की। अंतरिक्ष विभाग के विशेष कार्य अधिकारी ने हिंदी सलाहकार समिति के संबंध में सूचित किया कि अंतरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त सलाहकार समिति गठित है। विभाग की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दी गई सूचना आंशिक रूप में हिंदी में उपलब्ध नहीं होने के बारे में विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि इसे पूर्णत: द्विभाषी करने का कार्य किया जा रहा है। अंतरिक्ष विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय ने 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इस मंत्रालय में हिंदी में काम करने वाले आशुलिपिकों की प्रतिशतता 52.94 है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। प्रतिनिधि ने बताया कि इनके मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद रिक्त हैं। सचिव महोदया ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसे भरने का प्रयास करेंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.3 आयुष मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है परंतु राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन हुआ है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता अच्छी है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर अधिकांश लिंक की सूचना हिंदी में नहीं दी गई है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने भविष्य में अच्छे परिणाम देने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके मंत्रालय की नई वेबसाइट तैयार की जा रही है जो 1-2 महीने में तैयार हो जाएगी। प्रतिनिधि ने बताया कि संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक के पद रिक्त होने की वजह से आंकड़ों में कमी आई है। विभाग द्वारा आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसे भरने का प्रयास करेंगे। आयुष मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.4 आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग द्वारा धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है में लेकिन हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। सचिव, राजभाषा विभाग ने आर्थिक कार्य विभाग में हिंदी में पत्राचार की खराब स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। इस पर विभाग के संयुक्त सचिव ने सूचित किया कि उनके विभाग में ज्यादातर काम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ होता है इसलिए उनके यहां हिंदी पत्राचार का प्रतिशत कम है। प्रतिनिधि ने बताया कि 25 वर्षों में प्रथम बार सेबी का राजभाषा निरीक्षण करवाया गया है। उन्होंने अपने विभाग में हिंदी के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया। आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट पूर्णत: द्विभाषी नहीं पाई गई। आर्थिक कार्य विभाग एवं वितीय सेवाएं विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.5 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय द्वारा फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषी न होने पर उन्होंने बताया कि वेबसाइट को द्विभाषी करने का काम चल रहा है। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.6 इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि चूंकि मंत्रालय का कार्य तकनीकी प्रकृति का है इसलिए पत्राचार में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.7 इस्पात मंत्रालय

समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) एवं नियम 5 का अनुपालन किया गया है 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है।

अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है। हिंदी में काम करने वाले आशुलिपिकों एवं टंकको की प्रतिशतता भी शत-प्रतिशत है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.8 उच्चतर शिक्षा विभाग

उच्चतर शिक्षा विभाग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिनिधि ने बताया कि तकनीकी खामियों की वजह से नहीं हो पायी है। इस पर सचिव महोदया ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द से जल्द अपनी खामियों का पूरा करें और रिपोर्ट भिजवाएं। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.9 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है लेकिन राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जब कि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल हिन्दी में नहीं है। इनके प्रतिनिधि ने बताया कि मंत्रालय की ओर से तिमाही रिपोर्ट के आंकड़े त्रुटिपूर्ण भेज दिए गए हैं जिसकी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.10 उपभोक्ता मामले विभाग

इस विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके विभाग में अधिकतम काम हिंदी में होता है। उन्होंने बताया कि उनके विभाग के सचिव और मंत्री जी हिंदी में काम करते हैं इसलिए उपभोक्ता मामले विभाग में हिंदी पत्राचार में वृद्धि हो रही है और इसे और अधिक बढ़ाने का काम चल रहा है। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.11 उर्वरक विभाग

उर्वरक विभाग द्वारा नियम (5) एवं धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जब कि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कुछ लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि पूर्व में उनके विभाग द्वारा सही आंकड़े नहीं दिए गए थे जिसमें अब सुधार कर लिया गया है। उर्वरक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.12 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का पूर्ण अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कुछ प्रमुख लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग से आए प्रतिनिधि ने बताया कि उनका विभाग लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत है। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.13 औषध विभाग

औषध विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग के संयुक्त सचिव ने हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। विभाग की वेबसाईट हिंदी में नहीं खुलती है। निविदा एवं भर्ती लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन नहीं हुआ है। विभाग के प्रतिनिधि ने कमियां को दूर करने का आश्वासन दिया। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.14 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है लेकिन

'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके विभाग द्वारा विदेशों में पत्र भेजे जाते हैं जिसके कारण हिंदी में कम काम होता है। समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है। विभाग की वेबसाइट के कुछ लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

सचिव, राजभाषा विभाग ने विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि वह अपने विभाग के अपर सचिव को राजभाषा कार्यान्वयन की कमियों को बारे में अवगत करवाएं और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.15 कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। लगभग शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। विभाग द्वारा 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग की वेबसाइट को द्विभाषी बनाने का भी काम चल रहा है और जल्द ही इसे पूर्णत: द्विभाषी और अद्यतन कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु प्रतियोगिताएं बढाई गई हैं। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आशवासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.16 कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। तकनीकी प्रकार का मंत्रालय है इस कारण से कठिनाई है, फिर भी कोशिश करेंगे। एनआईसी के साथ बैठक की गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि द्विभाषी डाटा अपलोड करें। हम शीघ्र ही वेबसाइट द्विभाषी कर लेंगे। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.17 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। सचिव, राजभाषा विभाग ने विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। उन्होंने बताया कि उनके विभाग में ई ऑफिस में कार्य होने के कारण हिंदी में काम कम हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग में सहायक निदेशक (रा.भा.) का पद खाली है उन्होने कहा कि विभाग की वेबसाइट का पूरी तरह से द्विभाषी होना मुश्किल है क्योंकि अधिकतर लिंक तकनीकी प्रकृति के हैं। तथापि, इस दिशा में काम चल रहा है। विभाग की प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सहायक निदेशकों का प्रशिक्षण भी आईएसटीएम की तर्ज पर होना चाहिए और अन्य राजभाषा कार्मिकों को भी समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि अन्य संवर्गों की भांति राजभाषा संवर्ग में भी रिक्त पदों की समस्या है लेकिन राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा के रिक्त पदों को भरने के लिए यथा संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का एक नोडल विभाग है, इसलिए राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य में अपेक्षित सुधार लाया जाना आवश्यक है। विभाग ने कहा कि शिक्षा विभाग का एक विशेष दायित्व है कि वह हिंदी को आगे बढ़ाए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.18 कोयला मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया। बैठक में कोल इंडिया लिमिटेड की तकनीकी शब्दावली की सराहना भी सचिव महोदया द्वारा की गई । मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.19 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

मंत्रालय से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। इस कारण उनके मंत्रालय की मदों पर चर्चा/समीक्षा नहीं की जा सकी। सचिव, राजभाषा विभाग ने मंत्रालय को पत्र भेजने के निर्देश दिए।

6.20 खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के सभी लिंक की सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। उनके मंत्रालय में ई-आफिस में काम होता है जिस के कारण हिंदी में कार्य की प्रतिशतता कम है। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.21 खान मंत्रालय

खान मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। खान मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। मंत्रालय से आए प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वेबसाइट की सामग्री की समीक्षा की जा रही है और शीघ्र ही अद्यतित वर्जन अपलोड किया जाएगा। उन्होने वतर्मान तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय सुधार लाने का आश्वासन दिया। खान मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.22 ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का पूर्ण अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जब कि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के लगभग सभी लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप जून एवं सितंबर में हिंदी पत्रचार की प्रतिशतता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय की वेबसाइट को अद्यतन किए जाने का कार्य किया जा रहा है जिसे निकट भविष्य में सम्पन्न कर लिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.23 भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है लेकिन राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। कार्यालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है लेकिन 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना द्विभाषी है। उनके कार्यालय की हिंदी सलाहकार समिति, विनिवेश विभाग, राजस्व विभाग के साथ संयुक्त रुप से है और इसका गठन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.24 जनजातीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। लेकिन, 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। हालांकि, मंत्रालय में 100 प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई अधिकांश सूचना द्विभाषी नहीं है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि वेबसाइट आंशिक रुप से हिंदी में नहीं है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय की वेबसाइट संबंधी अनुवाद कार्य स्तरीय नहीं था, इसलिए 20 हजार पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.25 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता भी लक्ष्य से बहुत कम है। मंत्रालय में 96.39 प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई अधिकांश सूचना केवल अंग्रेज़ी में है। मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार ने बताया कि वेबसाइट का काम बहुत ज्यादा है और यह काम एनआईसी देखता है। उन्होंने बाई डिफाल्ट हिंदी में वेबसाइट खुलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.26 डाक विभाग

डाक विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार की प्रतिशतता निर्धारित लक्ष्य के करीब है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्ति किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता कम है। मंत्रालय के सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। डाक विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक आयोजित की जा चुकी हैं। विभाग की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दी गई अधिकांश सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रतिनिधि ने कहा कि विभाग के हिंदी के 13 में से 07 पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी बनाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने अनुवाद टूल कंठस्थ के प्रशिक्षण हेतु नामांकन भेजने का आश्वासन दिया। डाक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.27 दूर संचार विभाग

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। लेकिन, 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता बहुत कम है जबकि लगभग शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय में काफी कम हिंदी अधिकारी हैं जिससे दिक्कत आ रही है। प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी पत्राचार एवं अन्य कार्यकलापों में सुधार लाने का भी आश्वासन दिया। विभाग की वेबसाईट को भी पूणत: हिंदी में अद्यतित कराया जाएगा। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.28 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

समीक्षा में यह पाया गया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि अधिकारियो को हिंदी में ज्ञान की प्रतिशतता 100 प्रतिशत है और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट की समीक्षा करते यह पाया गया कि अधिकांश सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध है।

विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वेबसाइट को पूर्ण रूप से द्विभाषी बनाने हेतु एजेंसी का चयन किया जा चुका है और इस कार्य को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन भी शीघ्र करने का आश्वासन दिया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के

प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.29 न्याय विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का प्रतिशत बहुत कम पाया गया जबकि शत प्रतिशत कामिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई कुछ सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग की प्रतिनिधि ने मुख्यतः विभाग में हिंदी स्टाफ की कमी का उल्लेख किया जिसके कारण राजभाषा कार्यान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.30 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। लेकिन, 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ है जबकि शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित जो भी कमियां बताई गई हैं उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.31 वस्त्र मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपने मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और सूचित किया कि पिछले बैठक में पत्राचार बढाने के संबंध में चर्चा की गई है। कंठस्थ हेतु नामांकन भेजने का आश्वासन दिया गया और बताया कि हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन का कार्य आरंभ कर दिया गया है। वेबसाइट पर सूचना द्विभाषी रुप से डालने के प्रयास किए जाएंगे और वेबसाइट बाई डिफाल्ट हिंदी में खुलने के प्रयास तत्काल करेंगे। ई-सरल हिंदी वाक्य कोश हेतु 100 वाक्य मंत्रालय द्वारा राजभाषा विभाग को भेज दिए गए हैं। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन

राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.32 नागर विमानन मंत्रालय

मंत्रालय से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। इस कारण उनके मंत्रालय की मदों पर चर्चा/समीक्षा नहीं की जा सकी। सचिव, राजभाषा विभाग ने मंत्रालय को पत्र भेजने के निर्देश दिए।

6.33 निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

मंत्रालय से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। इस कारण उनके मंत्रालय की मदों पर चर्चा/समीक्षा नहीं की जा सकी। सचिव, राजभाषा विभाग ने मंत्रालय को पत्र भेजने के निदेश दिए।

6.34 नीति आयोग

नीति आयोग ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया। आयोग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। आयोग की वेबसाइट की समीक्षा करते हुए यह पाया गया कि अधिकांश सामग्री केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। आयोग से आ।ए प्रतिनिधि ने सूचित किया कि आयोग की वेबसाइट नए सिरे से बनाई जा रही है और बाई डिफाल्ट हिंदी में वेबसाइट खोलने के प्रयास किए जाएंगे। नीति आयोग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.35 पंचायती राज मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। लेकिन, 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। वेबसाइट के बारे में उन्होने बताया कि इसे पुनः तैयार किया जा रहा है और इसे हिंदी में तैयार करने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय में हिंदी के 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं। उन्होने सचिव, राजभाषा विभाग से इन्हें भरने का अनुरोध किया। प्रतिनिधि ने यह भी सूचित किया कि मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.36 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मंत्रालय से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। इस कारण उनके मंत्रालय की मदों पर चर्चा/समीक्षा नहीं की जा सकी।

6.37 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। मंत्रालय द्वारा फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी की प्रतिशतता भी लक्ष्य के करीब है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट की समीक्षा करते हुए यह पाया गया कि अधिकांश सामग्री केवल अंग्रेज़ी में उपलब्ध है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सर्वप्रथम अवगत करवाया कि मंत्रालय के संयुक्त सचिव, माननीय मंत्री जी के साथ बैठक में होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। प्रतिनिधि ने ई-आफिस को पत्राचार में शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके मंत्रालय को ई-आफिस के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने अगली बैठक में अपेक्षाओं के अनुरुप परिणाम मिलने का आश्वासन दिया। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.38 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। लेकिन, 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। मंत्रालय द्वारा फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी की प्रतिशतता 71.33 प्रतिशत है जिसे पूरा किया जा सकता है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट की समीक्षा करते हुए यह पाया गया कि कुछ सामग्री केवल अंग्रेज़ी में उपलब्ध है। विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि वेबसाइट के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एनआईसी से बातचीत चल रही है। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.39 परमाणु ऊर्जा विभाग

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी पत्राचार लक्ष्य से कम है तथा 'ग' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। विभाग द्वारा फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि संयुक्त सचिव अन्य बैठक में व्यस्त होने के कारण इस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने आगे बताया कि विभाग की वेबसाइट तैयार हो गई है और उसका सिक्युरिटी ऑडिट चल रहा है। उन्होने कहा कि वेबसाइट बाई डिफाल्ट हिंदी में खुलेगी। हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन अंतरिक्ष विभाग के साथ संयुक्त सलाहकार समिति जिसका पुनर्गठन हो चुका है। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.40 पर्यटन मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं नियम 5 का पालन किया गया है। 'क', 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता संबंधी लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने सूचित किया कि वेबसाइट को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कनिष्ठ अनुवाद अधकारी के पद को भरने का भी अनुरोध किया। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.41 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता सिर्फ 19.31 प्रतिशत है जो लक्ष्य से काफी कम है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके मंत्रालय के सरकारी कामकाज में टिप्पण हिंदी में करने के लिए कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होने कहा कि मंत्रालय की वेबसाइट बाई डिफाल्ट हिंदी में वेबसाइट खुलवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्प भी लांच किया है। सचिव, राजभाषा विभाग ने उनसे अनुरोध किया कि मोबाइल एप्प एवं ई- सरल वाक्य कोश का विस्तृत ब्यौरा राजभाषा विभाग को उपलब्ध करवा दें। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.42 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है परंतु वर्ष 2020-21 में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन हुआ है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जबकि शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के कुछ लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.43 पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि लक्ष्य

के करीब है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के कुछ लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि द्विभाषी वेबसाइट शीघ्र तैयार करा ली जाएगी। सचिव, राजभाषा विभाग ने विभाग के प्रतिनिधि से अनुरोध किया कि लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करवाएं। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.44 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जबकि शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। विभाग में हिंदी में कार्य करने वाले आशुलिपिकों की प्रतिशतता बहुत कम है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के कुछ लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि उनके विभाग में हिंदी आशुलिपिकों की प्रतिशतता अब बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि यह एक नया विभाग बना है जो पहले कृषि मंत्रालय के साथ था। द्विभाषी वेबसाइट बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

विभाग के प्रतिनिधि द्वारा हिंदी के पदों के संबंध में सूचना मांगी गई जिसके संबंध में विभाग द्वारा स्पष्टीकरण भेजा जायेगा। हिंदी सलाहकार समिति के गठन के प्रस्ताव संबंधी संकल्प का मसौदा सर्वप्रथम राजभाषा विभाग को भेजें। राजभाषा विभाग इस संकल्प के मसौदे पर माननीय गृह मंत्री के अनुमोदन के उपरांत, राजभाषा विभाग की ओर से नामित किए जाने वाले तीन गैर सरकारी सदस्यों के नाम शामिल करते हुए अनुमोदित संकल्प को संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेजेगा। तत्पश्चात, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपने माननीय मंत्री से इस संकल्प पर अनुमोदन लिया जाएगा। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.45 पोत परिवहन मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना द्विभाषी है। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके मंत्रालय में इस समय नियम 5 का 100 प्रतिशत अनुपालन हो रहा है। चूंकि उनके मंत्रालय में सारा पत्राचार ई-आफिस में हो रहा है इसलिए हिंदी

पत्राचार की प्रतिशतता में कमी आई है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय की वेबसाइट को द्विभाषी बनाया जा रहा है और वेबसाइट का सिक्युरिटी ऑडिट चल रहा है। सचिव, राजभाषा विभाग ने टिप्पणी करते हुए कहा की मंत्रालय में हिंदी में किए जा रहे काम में सुधार की आवश्यकता है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि हिंदी के पद रिक्त होने के कारण भी हिंदी के कार्य में बाधा आ रही है। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.46 बायोटेक्नोलॉजी विभाग

विभाग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के लिए कार्रवाई की जाएगी। कंठस्थ के लिए नामांकन भेजने का आश्वासन दिया गया। बेबसाइट की कमियों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.47 भूमि संसाधन विभाग

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जबकि मंत्रालय में हिंदी जानने वाले कार्मिकों की प्रतिशतता लगभग 100 है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग के प्रतिनिधि ने रिक्त पदो को भरे जाने का अनुरोध किया। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.48 गृह मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता लक्ष्य से काफी कम है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। मंत्रालय द्वारा आश्वासन दिया गया कि मंत्रालय की वेबसाइट बाई डिफाल्ट हिंदी में खुले इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। संसदीय राजभाषा समिति एवं संसदीय कार्य मंत्रालय से नामांकन प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का

आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.49 भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग की समीक्षा में पाया गया कि आयोग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। कार्यालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 'ग' क्षेत्र में 56.79 लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। आयोग की हिंदी सलाहकार समिति के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना द्विभाषी है। सचिव महोदया द्वारा बैठक में वेबसाईट पूणत: द्विभाषी एवं अद्यतित करने का आश्वासन दिया गया। आयोग की गृह पत्रिका 'उमंग' का विमोचन बैठक में सचिव महोदया द्वारा किया गया। हिंदी के पद भरे जाने का भी अनुरोध किया। भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.50 भारी उद्योग विभाग

भारी उद्योग विभाग की समीक्षा में पाया गया कि आयोग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। जबकि सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। आयोग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना द्विभाषी है। राजभाषा विभाग की ओर से भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ कार्यालय की अध्यक्षता वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जागीरोड़ (मोरीगांव) को सक्रिय करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया। विभाग के प्रतिनिधि ने आश्वस्त किया कि इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि ई-आफिस के कारण हिंदी पत्राचार में कमी आई है। वेबसाइट से संबंधित कमियों को शीघ्र ही दूर करने का आश्वासन दिया गया।

सचिव महोदया ने कहा कि पुरस्कारों से संबंधित जानकारी आप राजभाषा विभाग में भिजवा दें। इससे संबंधित कार्यालय ज्ञापन आपके फोल्डर में रख दिए गए है। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.51 मंत्रिमंडल सचिवालय

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। प्रतिनिधि ने बताया

कि सितंबर में वेबसाइट का हिंदी अनुवाद हो चुका है। अपलोड जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी बैठकें समय पर होती हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रतियोगिताएं पहले वार्षिक होती थी उसे अब हमने छमाही कर दिया है। जो भी तिमाही प्रगति रिपोर्टें हैं उससे संबंधित अनुभागों को भी पुरस्कृत किया है। बच्चों में भी हिंदी के प्रति जागरुकता लाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करते रहते हैं। सुलभ शब्दावली का आयोजन भी किया। इस मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.52 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। हालांकि, सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि वेबसाइट बनाने का काम चल रहा है। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.53 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है परंतु वर्ष 2020-21 में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन हुआ है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय के सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि फाइलों में हिंदी में कम टिप्पण ई-आफिस के कारण है। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में वेबसाइट के संबंध में बताई गई कमियों को दूर कर लिया गया है मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.54 रक्षा उत्पादन विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) अनुपालन किया गया है। और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंखन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। रक्षा उत्पादन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.55 रक्षा मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाईट के कुछ लिंक में दी गई कुछ सामग्री केवल अंग्रेजी में है। रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.56 रेल मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालांकि, पत्राचार का प्रतिशत लक्ष्य के करीब है। मंत्रालय द्वारा 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कुछ लिंक में दी गई कुछ सामग्री केवल अंग्रेजी में है। राजभाषा विभाग की ओर से अनुरोध किया गया कि रेल मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों की अध्यक्षता वाली तीन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों नामतः नराकास, मालदा, नराकास, गुंतकाल और नराकास, जबलपुर (कार्यालय-2) को सक्रिय करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट पर भर्ती, नागरिक चार्टर, अन्य लिंक हिंदी में अपलोड किए जा चुके हैं। उन्होंने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के बारे में भी विस्तृत सूचना दी और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने आगे बताया कि उनके मंत्रालय द्वारा राजभाषा एप बनाया गया है जिसमें राजभाषा नीति, टिप्पण, वाक्यांश, पुरस्कार, नमूना पत्र, राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम, विभागीय परीक्षा में राजभाषा संबंधी पूछे जाने वाले प्रश्न आदि दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालयों द्वारा हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। उन्होंने रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, उत्सवों और समारोहों के बारे में बताया। सचिव, राजभाषा विभाग ने रेल मंत्रालय के प्रयासों की सराहनीय और अनुकरणीय बताया। रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.57 रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभाग के लगभग शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है।

'कंठस्थ' के प्रशिक्षण के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। विभाग के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि हिंदी पत्राचार की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और वेबसाइट की कमियों को भी दूर कर दिया जाएगा। सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि हिंदी पत्राचार संबंधी आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं जिसमें सुधार की जरुरत है। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.58 राजस्व विभाग

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभाग के सभी कार्मिकों को 98.07 प्रतिशत हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। बैठक फरवरी के बाद कराने को कहा गया है। विभाग की वेबसाईट को निदेशानुसार पूणत: द्विभाषी एवं अद्यतित कराने का आश्वासन दिया गया। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.59 लोक उद्यम विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग के लगभग 94.74 प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। विभाग के प्रतिनिधि ने हिंदी में पत्राचार की वृद्धि करने का आश्वासन दिया। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.60 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

मंत्रालय से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। इस कारण उनके मंत्रालय की मदों पर चर्चा/समीक्षा नहीं की जा सकी। सचिव, राजभाषा विभाग ने मंत्रालय को पत्र भेजने के निदेश दिए।

6.61 व्यय विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जबकि विभाग के शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है।

मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कुछ लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। वेबसाइट पर दिए जाने वाले सूचना का अनुवाद किया जा चुका है और इसे अपलोड करने के लिए एनआईसी को दे दिया गया है। व्यय उत्पादन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.62 वाणिज्य विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति गठित है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपने विभाग की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और बताया कि हिंदी में पत्राचार बढ़ाने हेतु वाणिज्य सचिव स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.63 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। वेबसाइट को द्विभाषी कर दिया गया है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाईट पर प्रतिनिधि ने बताया कि जो भी कमियां है उसे जल्द पूरा करेंगे। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.64 वित्तीय सेवाएं विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया है। विभाग द्वारा फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है विभाग की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.65 विद्युत मंत्रालय

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हिंदी सलाहकार समिति की फाइल माननीय मंत्री जी के पास है। हिंदी में पत्राचार बढ़ाने के लिए मॉनिटरिंग करने का भी आश्वासन दिया गया। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.66 विदेश मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है। राजभाषा विभाग द्वारा धारा 3(3) एवं नियम 5 के उल्लंघन पर असंतोष व्यक्त किया गया। मंत्रालय 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। इस पर सचिव महोदया ने कहा कि आपके सचिव हिंदी के प्रति काफी जागरूक हैं तो मुझे भी भरोसा है कि जो भी कमियां है आप उसे पूरा कर लेंगे। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। बैठक मंत्री जी के विचाराधीन है। प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि वर्ष 2022-23 के आंकड़े में काफी प्रगति देखने को मिलेगी।

मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने अपने मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने सूचित किया कि विदेश मंत्रालय में कार्य प्रकृति भिन्न होने के कारण पत्राचार में कमी है। दूतावासों के साथ भी पत्राचार किया जाता है, इस कारण भी हिंदी पत्राचार में कमी है। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.67 विधयी विभाग

विभाग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया है परंतु वर्ष 2020-21 में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य 67.16 प्रतिशत प्राप्त किया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। विभाग की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

वेबसाईट की समस्त सूचनाओं को द्विभाषी एवं अद्यतित करने का आश्वासन दिया गया। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.68 विधि कार्य विभाग

विभाग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है।

विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जायेगा। प्रतिनिधि ने स्टाफ की कमी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी हैं जो मंत्री जी के साथ तैनात हैं और सहायक निदेशक का एक पद खाली है। इसी वजह से वह अपने लक्ष्य से पीछे हैं। मीडिया सेल के साथ संपर्क करके कार्मिकों के साथ काम कर रहे हैं। कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के दो पद खाली हैं और काम अधिक है। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.69 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया है परंतु वर्ष 2021-22 में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन हुआ है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हुआ है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने रिपोर्ट में भरे गए आंकड़ों में विसंगति की बात की जिस पर निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग ने अवगत करवाया कि जो आंकड़े तिमाही प्रगति रिपोर्ट के द्वारा भेजे गए हैं, उन्हें ही यहां दिखाया गया है। रिपोर्ट भरने एवं भेजने के समय सतर्कता बरतने की सलाह मंत्रालय को दी गई। सचिव, राजभाषा विभाग ने निदेश दिए कि मंत्रालय द्वारा रिपोर्टिंग एवं हिंदी में किए जा रहे कार्य में सुधार की आवश्यकता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.70 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है लेकिन 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया है। मंत्रालय द्वारा फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाईट पूणत: द्विभाषी नहीं है अतः इसे अद्यतित एवं द्विभाषी करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि संयुक्त निदेशक का पद काफी समय से रिक्त है। सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी की मदद से काम कर रहे हैं। पद जल्द से जल्द भरने का अनुरोध किया। तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार है जल्द भिजवाने का आश्वासन दिया। मंत्रालय के प्रतिनिधि

दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.71 संघ लोक सेवा आयोग

आयोग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। आयोग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। आयोग द्वारा फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 99.64 कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। आयोग की वेबसाइट के कुछ लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

बैठक में उपस्थित आयोग के संयुक्त सचिव महोदय ने यह जानकारी दी कि आयोग द्वारा हिंदी में पत्राचार बढ़ाने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है और आयोग में प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सचिव महोदया द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। इसके अलावा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी कविता पाठ का आयोजन किया जाता है जिसमें संयुक्त सचिव एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भाग लेते हैं। आयोग में हिंदी सलाहकार समिति का गठन का प्रावधान नहीं है। आयोग में उप निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा), एवं वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया गया। आयोग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया और साथ ही 'कंठस्थ2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.72 सूचना और प्रसारण मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हिंदी में पत्राचार बढ़ाने के लिए सतत् प्रयासरत हैं। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। एनआईसी के साथ मंत्रालय की वेबसाईट पर पूर्णत: द्विभाषी एवं अद्यतित कराने का कार्य किया जा रहा है। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.73 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण में लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट को पूर्णत: हिंदी में अद्यतित कराए जाने का कार्य हो रहा है। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.74 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। लेकिन, 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता लक्ष्य से कम है जबकि लगभग शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। प्रतिनिधि ने बताया कि नियमित रूप से कार्य़शालाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर तीन महीने में अधीनस्थ कार्यालय को जोड़ते हैं। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.75 संस्कृति मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके मंत्रालय द्वारा अब तक पांच संगोष्ठियां आयोजित की गई हैं। उच्च स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करने और पत्राचार बढ़ाने की दिशा में कार्य करने का आश्वासन दिया। संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.76 संसदीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में लक्ष्यों को पूर्णत: प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो सराहनीय है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। प्रतिनिधि ने बताया कि विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में हिंदी में काम को बढ़ाने की चर्चा की जाती है। मंत्रालय की वेबसाइट को पूणत: द्विभाषी बनाए जाने हेतु प्रयासरत है। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का

आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.77 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है। राजभाषा विभाग द्वारा नियम 5 के उल्लंघन पर असंतोष व्यक्त किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है लेकिन 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। प्रतिनिधि द्वारा वेबसाईट के संबंध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किये जाने का आश्वासन दिया गया। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.78 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग 'क','ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहां हिंदी का स्टाफ कम है इसलिए अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। प्रतिनिधि ने ये भी कहा कि उनके मंत्री जी हिंदी के प्रबल समर्थक हैं। फाईल हिंदी में नहीं होती है तो वे उसे वापस कर देते हैं। बैठक भी हिंदी में ही करते हैं। वेबसाइट का द्विभाषीकरण चरणबद्ध रुप से कर लिया जाएगा। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

6.79 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) अनुपालन किया गया है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंखन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय के सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई कुछ सामग्री केवल अंग्रेजी में है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वर्ष 2014-15 में मंत्रालय गठित हुआ था। अत: पूर्णत: पदों का सृजन भी नहीं हुआ है। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन रा.भा. विभाग को दिया गया। प्रतिनिधि ने बताया कि आपके जो

भी सुझाव हैं उसको पूरा कराने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझावों को पूरा करने का आश्वासन राजभाषा विभाग को दिया गया साथ ही 'कंठस्थ-2.0' के प्रशिक्षण एवं प्रयोग का आश्वासन भी दिया गया।

****

अनुलंग्नक - 'क'

दिनांक 15 नवंबर, 2022 को पूर्वाह्न 10:30 - 1:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं बैठक के प्रथम चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	अंतरिक्ष विभाग
2.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
3.	आयुष मंत्रालय
4.	आर्थिक कार्य विभाग
5.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
6.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7.	इस्पात मंत्रालय
8.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
9.	उपभोक्ता मामले विभाग
10.	उर्वरक विभाग
11.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
12.	औषध विभाग
13.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
14.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
15.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
16.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
17.	कोयला मंत्रालय
18.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
19.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
20.	उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)
21.	खान मंत्रालय
22.	ग्रामीण विकास विभाग
23.	भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय
24.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
25..	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
26.	डाक विभाग

दिनांक 16 नवंबर, 2022 को पूर्वाह्न 10:30 - 1:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं बैठक के द्वितीय चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	दूर संचार विभाग
2.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
3.	न्याय विभाग
4.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
5.	वस्त्र मंत्रालय
6.	नागर विमानन मंत्रालय
7.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
8.	नीति आयोग
9.	पंचायती राज मंत्रालय
10.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
11.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
12.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
13.	परमाणु ऊर्जा विभाग
14.	पर्यटन मंत्रालय
15.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
16.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
17.	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
18.	पशुपालन और डेयरी विभाग
19.	पोत परिवहन मंत्रालय
20.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
21.	भूमि संसाधन विभाग
22.	गृह मंत्रालय
23	भारत निर्वाचन आयोग
24.	भारी उद्योग विभाग
25.	मंत्रिमंडल सचिवालय
26.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

दिनांक 22 नंवबर, 2022 को पूर्वाह्न 10:30 - 1:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं बैठक के तृतीय चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
2.	रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग
3.	रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग
4.	रेल मंत्रालय
5.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
6.	राजस्व विभाग
7.	लोक उद्यम विभाग
8.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
9.	व्यय विभाग
10.	वाणिज्य विभाग
11.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग
12.	वित्तीय सेवाएं विभाग
13.	विद्युत मंत्रालय
14.	विदेश मंत्रालय
15.	विधायी विभाग
16.	विधि कार्य विभाग
17.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
18.	सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
19.	संघ लोक सेवा आयोग
20.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
21.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
22.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
23.	संस्कृति मंत्रालय
24.	संसदीय कार्य मंत्रालय
25.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
26.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
27.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अनुलग्नक 'ख'

दिनांक 15, 16 एवं 22 नवंबर, 2022 के दौरान आयोजित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	उपस्थिति अधिकारी का नाम तथा पदनाम
1.	अंतरिक्ष विभाग	श्री हरिकृष्णन विशेष कार्य अधिकारी डॉ. शंकर कुमार संयुक्त निदेशक, राजभाषा
2.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	**सुश्री ऋचा शंकर** **संयुक्त सचिव** श्रीमती सीमा शशिधरन नायर सहायक निदेशक (रा.भा)
3.	आयुष मंत्रालय	श्री रोहतास धनखड़ निदेशक सुश्री पूर्णिमा बोस सहायक निदेशक
4.	आर्थिक कार्य विभाग	श्री आनंद कुमार निदेशक डॉ. पूरन सिंह उप निदेशक
5.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	श्रीमती संतोष सिल्पोकर निदेशक श्री संजय पाटिल उप निदेशक (रा.भा)
6.	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**सुश्री सिम्मी चौधरी** **आर्थिक सलाहकार** सुश्री रचना नेमा सहायक निदेशक (रा.भा) श्री गौरव खन्ना डिप्टी मैनेजर
7.	इस्पात मंत्रालय	श्री साकेश प्रसाद सिंह मुख्य लेखा नियंत्रक प्रभारी राजभाषा सुश्री आस्था जैन उप निदेशक
8.	उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)	श्री जगदीश राम पौरी संयुक्त निदेशक (रा.भा)
9.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	श्री विजय कुमार बालायन उप सचिव

10.	उपभोक्ता मामले विभाग	श्री सुभाष चन्द्र मीणा निदेशक
11.	उर्वरक विभाग	श्री जोहन टोपनो उप सचिव श्री देवी प्रसाद मिश्रा परामर्शदाता
12.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	श्री नरेन्द्र कुमार निदेशक श्री बी.एल. मीना सहायक निदेशक
13.	औषध विभाग	श्रीमती मंजुला सक्सेना निदेशक श्रीमती किरन चौहान उप निदेशक
14.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	श्री के.के. गूईते निदेशक श्री परमजीत यादव सहायक निदेशक (रा.भा)
15.	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	श्री अमित प्रकाश निदेशक, राजभाषा श्री दिनेश चन्द्र तिवारी सहायक निदेशक (रा.भा)
16.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	श्री मु. अरशद हुसैन उप निदेशक, राजभाषा श्री रणबीर सिंह सहायक निदेशक श्री सुनील तंवर अनुवाद अधिकारी
17.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	**श्री जग मोहन सिंह नेगी** **संयुक्त सचिव** श्री दिव्य प्रकाश शर्मा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
18.	कोयला मंत्रालय	**श्री लवानी प्रसाद पंत** **संयुक्त सचिव** श्री मनोज कुमार सिन्हा उप निदेशक (रा.भा)
19.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	
20.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**श्री मिन्हाज आलम** **अपर सचिव** श्री देबोश्री दास

		वरिष्ठ अनुवादक अधिकारी
21.	खान मंत्रालय	श्री सुखदीप सिंह संयुक्त निदेशक श्री अशोक कुमार प्रसाद सहायक निदेशक
22.	ग्रामीण विकास विभाग	डॉ. माणिक चन्द्र पंडित निदेशक सुश्री पुष्पलता उप निदेशक
23.	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का कार्यालय	**श्री पुरूषोत्तम तिवारी** **महानिदेशक** सुश्री मीनाक्षी (स.प्र.अ.) सुश्री किरन पाल सिंह हिंदी अधिकारी
24.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	**श्री शिव सिंह मीना** **आर्थिक सलाहकार** श्री वेद प्रकाश मीना सहायक निदेशक (रा.भा)
25.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	श्री सज्जन कुमार सहायक निदेशक
26.	डाक विभाग	सुश्री सुनीता सिंह उप निदेशक (रा.भा) श्री नरेश कुमार सहायक निदेशक (रा.भा)
27.	दूर संचार विभाग	**श्री बाल चंद्र अय्यर** **उप महानिदेशक** श्री पूरन चंद्र विश्वकर्मा परामर्शदाता (रा.भा)
28.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	**श्री किशोर बा. सुखाड़े** **उप महानिदेशक** श्री राजेश कुमार मीना वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी सुश्री एम. पदमा वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
29.	न्याय विभाग	**श्री अनन्त कुमार** **अवर सचिव** श्री सतेन्द्र सिंह परामर्शदाता
30.	नवीन और नवीकरणीण ऊर्जा मंत्रालय	**श्री संजय कुमार साहिल**

		वैज्ञानिक 'डी' श्री नन्दन सिंह दुग्गल उप निदेशक
31.	वस्त्र मंत्रालय	श्री गौरव कुमार श्रीमती अंशु गुप्ता सहायक निदेशक (राजभाषा)
32.	नागर विमानन मंत्रालय	
33.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	
34.	नीति आयोग	श्री शशि पाल निदेशक प्रशासन श्री सूरज प्रकाश बडगूजर परामर्शदाता श्री राम बाबू वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
35.	पंचायती राज मंत्रालय	**डॉ. विजय कुमार वेहरा** **आर्थिक सलाहकार** श्री मार्था बिहाल उप निदेशक सुश्री प्रतिमा वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
36.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
37.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	**डॉ. आर.एस. महेश कुमार** **वैज्ञानिक 'जी'** सुश्री विमला दहिया सहायक निदेशक
38.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	**डॉ. के.के. नाथ** **डी.डी.जी.** श्री धर्मबीर सहायक निदेशक (रा.भा)
39.	परमाणु ऊर्जा विभाग	श्री अचलेश्वर सिंह संयुक्त निदेशक (रा.भा)
40.	पर्यटन मंत्रालय	श्री मनोज कुमार दुबे सहायक निदेशक (रा.भा) श्री राजेश कुमार अवर सचिव (प्रशा)
41.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	**श्री सत्यजीत मिश्रा** **संयुक्त सचिव (रा.भा)** सुश्री उर्मिला हरित

		निदेशक (रा.भा)
42.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	श्री एन.के. मीना निदेशक (प्रशासन) श्री अनीष कुमार वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
43.	पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग	श्री रमेश चन्द्र सेठी उप सचिव सुश्री मंजू गुप्ता सहायक निदेशक (रा.भा)
44.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग	सुश्री स्वाति मेल्टी सहायक निदेशक
45.	पोत परिवहन मंत्रालय	श्री राजीव रंजन राय सहायक निदेशक
46.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	श्री जे.पी. मीणा उप सचिव श्री निखिल अरोड़ा सहायक निदेशक
47.	भूमि संसाधन विभाग	**श्री पी.के. अब्दुलकरीम** **आर्थिक सलाहकार** श्री कन्हैया प्रसाद लाल
48.	गृह मंत्रालय	श्री राकेश कुमार निदेशक (रा.भा)
49.	भारत निर्वाचन आयोग	**श्री आनंद कुमार पाठक** **सचिव** श्री प्रशांत कुमार सहायक निदेशक (रा.भा)
50.	भारी उद्योग विभाग	श्री आनंद कुमार सिंह निदेशक श्री कुमार राधरमण सहायक निदेशक (रा.भा)
51.	मंत्रिमंडल सचिवालय	श्री सर्वेश आर्या निदेशक श्री सतीश कुमार गुप्ता उप निदेशक (रा.भा)
52.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	**सुश्री पल्लवी अग्रवाल** **संयुक्त सचिव** श्री सत्यमूर्ति निगम उप निदेशक (रा.भा)
53.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	श्री सुन्दर सिंह उप सचिव

54.	रक्षा उत्पादन विभाग	श्री मनोज कुमार चौधरी सहायक निदेशक (रा.भा) श्री काले खां सहायक निदेशक
55.	रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग	श्री रवीश प्रसाद उप सचिव श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी सहायक निदेशक
56.	रेल मंत्रालय	श्री मनोज कुमार राम कार्यपालक निदेशक, स्थापना (आरक्षण) सुश्री सरिता दत्ता सहायक निदेशक
57.	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	**श्री गंगा कुमार** **उप महानिदेशक (राजभाषा)** श्री राकेश कुमार उप निदेशक
58.	राजस्व विभाग	श्रीमती निहारिका सिंह निदेशक सुश्री प्रीति सेलारे सहायक निदेशक
59.	लोक उद्यम विभाग	श्री मुनी राम मीना उप सचिव सुश्री अर्चना रांगड़ा उप निदेशक (रा.भा)
60.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	
61.	व्यय विभाग	श्री शिव राम मीना निदेशक श्री राजेश्वर कुमार उप निदेशक (राजभाषा)
62.	वाणिज्य विभाग	श्री विनोद कुमार सिंह उप सचिव
63.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	श्री के.एन. सिंह सहायक निदेशक श्री निखिल अरोड़ा सहायक निदेशक
64.	वित्तीय सेवाएं विभाग	श्री संजय कुमार उप सचिव
65.	विद्युत मंत्रालय	**श्री जितेश जोण** **आर्थिक सलाहकार** श्री अनिल कुमार

		सहायक निदेशक
66.	विदेश मंत्रालय	**श्री रविन्द्र प्रसाद जायसवाल** **संयुक्त सचिव** श्री विनोद कुमार उप निदेशक
67.	विधायी विभाग	डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह अपर विधायी परामर्शी सुश्री सुधा चौधरी उप विधायी परामर्शी
68.	विधि कार्य विभाग	सुश्री मधुलीना घोष वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
69.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	**श्री नागेश कुमार सिंह** **उप महानिदेशक** श्री निकोलस खलखो उप निदेशक (रा.भा)
70.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	श्री दीपक नारंग उप सचिव श्री कमल तिसावर वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
71.	संघ लोक सेवा आयोग	**श्री मुकेश लाल** **संयुक्त सचिव (प्रशासन)** श्रीमती तरूणा जंगपांगी निदेशक (राजभाषा)
72.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	श्री इफ्तेखार अहमद उप निदेशक (रा.भा)
73.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**श्री कमलेश चतुर्वेदी** **संयुक्त सचिव** श्री आदेश शर्मा उप निदेशक श्री नरेश रजक वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
74.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	श्री परमानन्द आर्य निदेशक (रा.भा)
75.	संस्कृति मंत्रालय	**सुश्री संजुक्ता मुदगल** **संयुक्त सचिव** श्री रमेश आर्य निदेशक
76.	संसदीय कार्य मंत्रालय	सुश्री सुमन सुचिता बारा निदेशक श्री विरेन्द्र कुमार

		सहायक निदेशक
77.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**श्री तनवीर कमर मोहम्मद** **संयुक्त सचिव** श्री मुकेश कुमार सहायक निदेशक श्री राकेश वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
78.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	श्री भरत लाल मीना निदेशक श्री राजेन्द्र बाली उप निदेशक
79.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	**सुश्री सुपर्णा एच पचौरी** **संयुक्त सचिव** श्री सुखबीर सिंह सहायक निदेशक (रा.भा)

अनुलग्नक 'ग'

दिनांक 15, 16 एवं 22 नवंबर, 2022 के दौरान आयोजित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं बैठक में राजभाषा विभाग से उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	सुश्री अंशुली आर्या	सचिव
2.	श्री बाबू लाल मीना	निदेशक (का./सेवा)
3.	श्री शिबदास सरकार	उप सचिव (प्रशा/तक./बजट)
4.	श्रीमती एस.वी.आर. रमणा	उप सचिव (अनु./पत्रिका)
5.	श्री राकेश बी दुबे	संयुक्त निदेशक (नीति)
6.	सुश्री अभिलाषा मिश्रा	उप निदेशक (का-2)
7.	श्री राजेश श्रीवास्तव	उप निदेशक (नीति)
8.	श्री संतोष कुमार	अनुसंधान अधिकारी (का-2)
9.	डॉ. शगुफ़्ता	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (का-2)
10.	श्री दीपक कुमार	निरीक्षक (तकनीकी)
11.	श्री केवल कृष्ण	वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार (एनआईसी)

अनुलग्नक 'ग'

दिनांक 15, 16 एवं 22 नवंबर, 2022 के दौरान आयोजित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं बैठक में राजभाषा विभाग से उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	सुश्री अंशुली आर्या	सचिव
2.	श्री बाबू लाल मीना	निदेशक (का./सेवा)
3.	श्री शिबदास सरकार	उप सचिव (प्रशा/तक./बजट)
4.	श्रीमती एस.वी.आर. रमणा	उप सचिव (अनु./पत्रिका)
5.	श्री राकेश बी दुबे	संयुक्त निदेशक (नीति)
6.	सुश्री अभिलाषा मिश्रा	उप निदेशक (का-2)
7.	श्री राजेश श्रीवास्तव	उप निदेशक (नीति)
8.	श्री संतोष कुमार	अनुसंधान अधिकारी (का-2)
9.	डॉ. शगुफ़्ता	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (का-2)
10.	श्री दीपक कुमार	निरीक्षक (तकनीकी)
11.	श्री केवल कृष्ण	वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार (एनआईसी)